1	2	3
Himachal Pradesh	..	..
Karnataka	1.32	0.90
Madhya Pradesh	7.41	5.58
Maharashtra	0.71	0.54
Orissa	2.80	2.68
Punjab	54.45	48.62
Rajasthan	0.20	0.2
Uttar Pradesh	12.95	11.83
West Bengal	1.27	1.44
Chandigarh	0.25	0.22
Delhi	0.05	0.05
Pondicherry	0.02	0.05
TOTAL	121.36	103.29

Diversion of Sugarcane to Khandsari and Jaggery Units

*568. SHRI SARDA MOHANTY: SHRI SOM PAL:

Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a substantial portion of sugarcane produced in our country still goes to khandsari and jaggery units;

(b) whether it is also a fact that recovery in khandsari units is much lower than in sugar mills;

(c) if so. what are the details thereof;

(d) whether it is also a fact that khandsari units are not allowed to use the vaccum pan technology;

(e) if so, what are the reasons therefor;

(f) whether Government are considering delicensing of sugar industry in the near future; and

(g) if not, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) Yes. Sir.

(c) During the sugar year 1992-93 (October—September), 43.5 per cent of sugarcane produced has been utilised for the production of Gur and Khandsari as against 44.6 per cent for the manufacture of Sugar. The recovery per cent cane in khandsari units varies from 6-7 per cent on cane as against an average of 10 per cent on cane in respect of vaccum-pan units.

(d) and (e). If use of vacuum-pan technology is allowed to khandsari units,

all Central laws relating to sugar and sugarcane, Excise duly, etc. which are at present being applied *to* vacuum-pan sugar factories would become applicable to such units also. Considering the small capacity of Khandsari units, the application of these regulations would make them unviable.

(f) and (g) The present policy of licensing of sugar mills, including the option of delicensing, is under examination.

अल्पसंख्यकों संबंधी गोपाल सिंह पैनल कमेटी

***569. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अ पसंख्यकों संबंधी गोपाल सिंह कमेटी की सिफारिशों पर सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंकाबालू) : (क) अल्पसंख्यकों संबंधी पैनल की रिपोर्ट सहित दिनांक 24 अगस्त 1990 को राज्य सभा के पटल पर रखे गए विवरण में सरकार ने अल्पसंख्यकों के संबंध में डा० गोपाल सिंह पैनल की सिफारिशों के प्रति अपना दृष्टिकोण विनिर्दिष्ट किया है ।

गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् अनेक परिवर्तन हुए हैं जिनका अल्पसंख्यकों के विकास पर प्रभाव पड़ा है और इन्हीं बातों पर गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट में बल दिया गया था जो निम्न प्रकार है :-

1. अल्पसंख्यक आयोग का सांविधिक दर्जा : अल्पसंख्यक आयोग जिसकी स्थापना मौलिक रूप से जनवरी 1978 में अल्पसंख्यकों के हितों के प्रहरी रूप में कार्य करने हेतु की गई थी, को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके ।

2. शिक्षा/तकनीकी शिक्षा : शिक्षा विभाग ने मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना शुरू की है ताकि परम्परागत संस्थानों अर्थात् मदरसों/मकतबों में विज्ञान गणित, समाज अध्ययन और भाषाओं की पढाई शुरू की जा सके ।

शिक्षा विभाग ने भी शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गहन क्षेत्र कार्यक्रम संबंधी एक योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य उन शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आधार भूत शैक्षणिक अवसंरचना एवं सुविधा प्रदान करना है जहां प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ।

भारत सरकार ने मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को 5 करोड रुपए सहायता अनुदान उपलब्ध कराया है ताकि यह समाज के शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच शिक्षा को बढ़ावा दे सके ।

अल्पसंख्यकों के लिए सुसंगत उपर्युक्त प्रौद्योगिकीयों और कौशलों में तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में कम्युनिटी पोलिटेक्निक्स ऑफ एक्सटेंशन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं । कम्युनिटी पोलिटेक्निक्स योजना के तहत सभी 41 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों को शामिल किया गया है ।

3. परीक्षा पूर्व कोचिंग : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 51 केंद्रों (20 विश्वविद्यालयों और 32 महाविद्यालयों) के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के लिए एक कोचिंग योजना चला रह